

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)



कैलाश चन्द यादव

बनाम

ग्राम पंचायत नृसिंहपुरी वगै०

किस्म मुकदमा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 351 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/679

<p>तारीख वम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>10-07-2025</p>	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री संदीप यादव एडवोकेट उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 14.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) </p> <p>14/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/25 को पेश हों। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 14.08.2025 को पेश हो।</p> <p>24/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश हों।</p> <p>24/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। उकरण कार्रवाही में खुनवार्ड हेतु बार-बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद कोई भी एजिअर अफालत नहीं आया। अतः वकुलाप अथवा पत्रकारान की अनुपस्थिति में उकरण कार्रवाही को अदम बाजती व अदम फर्ती में खारिम लिया जाता है। पत्रावली रूकत अग्र होकर नखले रूक ले गया वाद दाखिल रफ्त है।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p>कैलाश चन्द यादव</p> <p>नीमकाथाना</p>